कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / साप्र / डी–2 / विविध / वो–II / 2010 दिनांकः–16 अप्रेल 2015

परिपत्र

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(1)शिक्षा–6 / 2015 दिनांक 7.4.2015 द्वारा विद्यालय परिसर में जीर्ण–शीर्ण / क्षतिग्रस्त भवनों / ढांचों को भूमिदोज (गिराने) के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त प्रशासनिक आदेशों को प्रक्रियात्मक सरलीकरण के क्रम में निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. जीर्ण शीर्ण / क्षतिग्रस्त भवनों का सर्वे :–

1.1 संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित जीर्ण–शीर्ण अवस्था के कक्षा कक्ष एवं अन्य भवन (ढांचा) को भूमिदोज (गिराने) के संबंध में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) का प्रस्ताव दो प्रतियों में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित किया जावेगा।

1.2 प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में विद्यालय विकास / विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1.3 बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित प्रस्ताव के अभाव मे सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अग्रिम कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं प्राप्त प्रस्ताव प्रथम स्तर पर ही खारिज किया जाकर, संबंधित विद्यालय को प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि में सूचित किया जावेगा।

2. तकनीकी जॉच (सर्वे) :–

2.1 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकरी (माध्यमिक) प्राप्त प्रस्ताव की एक प्रति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के संबंधित जिला कार्यालय के **सहायक अभियन्ता को प्रस्ताव प्राप्ति के 10 दिवस की अवधि** में आवश्यक जॉच (सर्वे रिपोर्ट) हेतु प्रेषित की जायेगी।

2.2 सहायक अभियन्ता **प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस की अवधि** में संस्था प्रधान की उपस्थिति में **मौका निरीक्षण** कर विद्यालय में उपलब्ध अभिलेख (यदि कोई हो) का अवलोकन एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) से विचार–विमर्श तथा **तकनीकी मानकों के आधार पर** भवन / ढांचों के सुरक्षित नहीं होने से संबंधित प्रमाण–पत्र जारी कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करेंगे।

3. जिला स्तरीय निष्पादक समिति:–

3.1 प्राप्त तकनीकी सर्वे प्रपत्र (रिपोर्ट) (बिन्दु संख्या 2.2 में वर्णित) के आधार पर जीर्ण–शीर्ण / क्षतिग्रस्त भवन / ढांचे के भूमिदोज किये जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिला स्तरीय निष्पादक समिति अधिकृत होगी एवं लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.2 जिला स्तरीय निष्पादक समिति का गठन निम्नानुसार है–

(i) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा – अध्यक्ष

(ii) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के जिला कार्यालय के सहायक अभियन्ता – सदस्य

(iii) सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार, जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक शिक्षा – सदस्य

(iv) अति. जि.प.स. सम्बन्धित जिला कार्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद – सदस्य सचिव

3.3 समिति के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति/संस्था **निर्णय के 15 दिवस की अवधि में** निदेशक माध्यमिक शिक्षा को **अपील** कर सकेगा/सकेगी, जिसका **निस्तारण अधिकतम 15 दिवस** की अवधि में किया जायेगा।

3.4 समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) आवश्यक आदेश जारी कर, प्रतिलिपि निदेशालय, संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं सम्बन्धित संस्था प्रधान को पृष्ठांकित करेंगें। जारी की गई आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित कार्यालयों के अभिलेखों में सुरक्षित रखी जायेगी।

3.5 जिला स्तरीय निष्पादन समिति की **मासिक बैठक आहुत कराने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव होगा।**

4 क्रियान्वयन एवं आय–व्ययः–

4.1 भवन/ढांचें को गिराने से संबंधित कार्यवाही विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) द्वारा की जायेगी।

4.2 गिराने के संबंध में होने वाले **आय–व्यय एवं आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया** की पूर्व जानकारी संबंधित विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) को देने का उत्तरदायित्व संबंधित **शाला प्रधान** का होगा।

4.3 गिराने के बाद के **मलबे** को विद्यालय परिसर से **अधिकतम 7 दिवस की अवधि में** हटाने का **दायित्व संस्था प्रधान** का होगा।

4.4 विद्यालय परिसर में निकट अवधि में प्रस्तावित नव निर्माण में मलबे को आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया जा सकेगा अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति/(SDMC/SMC) के द्वारा खुली बोली से नीलाम किया जायेगा।

4.5 मलबे से प्राप्त आय–व्यय विद्यालय विकास कोष का भाग होगा। यदि अवशेष मलबे को नवनिर्माण के उपयोग में लिया जाता है तो नवनिर्माण की लागत में से आवश्यक अंश कम किया जायेगा।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/डी–2/विविध/वो–II/12–13 दिनांकः–16 अप्रेल 2015

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
5. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
7. संपादक शिविरा/प्रकाशन
8. वैब पोर्टल।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक(सामान्य प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर